भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- †1399**

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2025

**जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं**

†1399. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न जनजातीय कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विगत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

**(क):** जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

**(ख) से (ग):** अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा आयोजित दशकीय जनगणना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कृषि जनगणना, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के यूडीआईएसई प्लस और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा किए गए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण आदि के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणाम बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जीवन स्थितियों में काफी सुधार हुआ है, उदाहरण के लिए, अजजा के लिए साक्षरता दर 2001 में 47.1% से बढ़कर 2011 में 59% हो गई है। इसके अलावा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट (जुलाई 2023 - जून 2024) से पता चलता है कि एसटी के लिए साक्षरता दर बढ़कर 73.40% हो गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) प्लस रिपोर्ट के अनुसार, अजजा छात्रों के सकल

नामांकन अनुपात (जीईआर) में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ (सीनियर) माध्यमिक स्तर पर सुधार हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) पर जीईआर 2013-14 में 91.33% से बढ़कर 2023-24 में 95.2% हो गया है, माध्यमिक स्तर (IX-X) पर 2013-14 में 70.2% से बढ़कर 2023-24 में 76.9% हो गया है और वरिष्ठ (सीनियर) माध्यमिक स्तर (XI-XII) पर यह 2013-14 में 35.44% से बढ़कर 2023-24 में 48.7% हो गया है। अजजा के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु जीईआर 2013-14 में 11.3% से बढ़कर 2021-22 में 21.2% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में शिशु मृत्यु दर 2005-06 में 62.1 से घटकर 2019-21 में 41.6 हो गई है, अजजा के लिए पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2005-06 में 95.7 से घटकर 2019-21 में 50.3 हो गई है, अजजा महिलाओं के संबंध में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2005-06 में 17.7 से बढ़कर 2019-21 में 82.3 हो गया है। इसके अलावा, अजजा बच्चों (आयु के अनुसार ऊंचाई) में बौनापन (child stunting)

की व्यापकता 2005-06 में 53.9% से घटकर 2019-21 में 40.9% हो गई है, अजजा बच्चों (ऊंचाई के अनुसार वजन) में दुर्बलता की व्यापकता 2005-06 में 27.6% से घटकर 2019-21 में 23.2% हो गई है और अजजा बच्चों (आयु के अनुसार वजन) में कम वजन की व्यापकता 2005-06 में 54.5% से घटकर 2019-21 में 39.5% हो गई है।

**अनुलग्नक**

**"जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं" के संबंध में श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1399 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

| अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के लाभार्थियों का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **वि.व. 2021-22** | **वि.व. 2022-23** | **वि.व. 2023-24*** |
| | | **लाभार्थी** | **लाभार्थी** | **लाभार्थी** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 330 | 386 | 193 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 117089 | 129032 | 114524 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 44144 | 46330 | 43507 |
| 4 | असम | 37370 | 62102 | 58774 |
| 5 | बिहार | 16156 | 3349 | 1206 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 173228 | 34510 | 40552 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 3352 | 2208 | 1053 |
| 8 | गोवा | 4047 | 4439 | 3274 |
| 9 | गुजरात | 259360 | 248035 | 160555 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 3332 | 4303 | 4390 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 8335 | 10772 | 7282 |
| 12 | झारखंड | 121601 | 141632 | 80770 |
| 13 | कर्नाटक | 133748 | 132370 | 123724 |
| 14 | केरल | 14558 | 16232 | 15400 |
| 15 | लद्दाख | 8631 | 8619 | 9795 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 426996 | 386241 | 343390 |
| 17 | महाराष्ट्र | 105693 | 106817 | 130359 |
| 18 | मणिपुर | 47793 | 42567 | 33542 |
| 19 | मेघालय | 52598 | 67026 | 76755 |
| 20 | मिजोरम | 33267 | 48371 | 31685 |
| 21 | नागालैंड | 40588 | 40638 | 42774 |
| 22 | ओडिशा | 207678 | 204172 | 213957 |
| 23 | पुदुचेरी | 50 | * | * |
| 24 | राजस्थान | 188614 | 236628 | 168516 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | सिक्किम | 4457 | 2650 | 1849 |
| 26 | तमिलनाडु | 24441 | 23529 | 25256 |
| 27 | तेलंगाना | 126708 | 133821 | 131034 |
| 28 | त्रिपुरा | 35911 | 37380 | 34464 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 18938 | 9655 | 8656 |
| 30 | उत्तराखंड | 3760 | 3534 | 3972 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 78100 | 63198 | * |

*अनंतिम डेटा

| अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के लाभार्थियों का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **वि.व. 2021-22** | **वि.व. 2022-23** | **वि.व. 2023-24*** |
| | | **लाभार्थी** | **लाभार्थी** | **लाभार्थी** |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 199 | 260 | 173 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 40465 | 40465 | 83666 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 5811 | 5178 | 1027 |
| 4 | असम | 2656 | 5688 | 4353 |
| 5 | बिहार | 42679 | 26450 | 8451 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 136546 | 28868 | 44837 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 2167 | 2017 | 1273 |
| 8 | गोवा | 1978 | 2108 | 1670 |
| 9 | गुजरात | 184803 | 137705 | 90755 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 2160 | 2479 | 2616 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 5883 | 4999 | 4650 |
| 12 | झारखंड | 136830 | 117439 | 97487 |
| 13 | कर्नाटक | 92742 | 98393 | 96880 |
| 14 | केरल | 7071 | 7604 | 7323 |
| 15 | लद्दाख | 1439 | 760 | 2884 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 328961 | 253961 | 256701 |
| 17 | महाराष्ट्र* | - | - | - |
| 18 | मणिपुर | 3038 | 1836 | 3470 |
| 19 | मेघालय | 2406 | 1776 | 5590 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | मिजोरम | 8148 | 10312 | 8911 |
| 21 | नागालैंड | 1354 | | |
| 22 | ओडिशा | 137545 | 79252 | 106691 |
| 23 | पुदुचेरी | 38 | - | - |
| 24 | राजस्थान | 191728 | 55667 | 76272 |
| 25 | सिक्किम | 296 | 49 | 62 |
| 26 | तमिलनाडु | 16854 | 15325 | 17580 |
| 27 | तेलंगाना | 3066 | 9255 | 2460 |
| 28 | त्रिपुरा | 17544 | 15017 | 12115 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 3528 | 1579 | 2329 |
| 30 | उत्तराखंड | 1287 | 1464 | 902 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 28034 | 22691 | * |

*अनंतिम डेटा

**राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों / विभागों द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी आबादी (31.01.2025 तक) को पीएम जनमन के तहत कवर किया जाना है**

| क्र.सं. | राज्य | पीवीटीजी आबादी* |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 191 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 493932 |
| 3 | बिहार | 8839 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 229743 |
| 5 | गुजरात | 153516 |
| 6 | झारखंड | 398260 |
| 7 | कर्नाटक | 57067 |
| 8 | केरल | 29511 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 1228606 |
| 10 | महाराष्ट्र | 621046 |
| 11 | मणिपुर | 44694 |
| 12 | ओडिशा | 298441 |
| 13 | राजस्थान | 128456 |
| 14 | तमिलनाडु | 364846 |
| 15 | तेलंगाना | 63194 |
| 16 | त्रिपुरा | 273240 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 3527 |
| 18 | उत्तराखंड | 92233 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 67431 |
| **कुल योग** | | **4556773** |

*अनंतिम डेटा

**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अजजा आबादी के साथ जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कवरेज**

| क्र.सं. | राज्य | जिले की संख्या | अजजा आबादी* |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 18 | 655450 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 23 | 230896 |
| 3 | असम | 32 | 2124774 |
| 4 | बिहार | 24 | 407136 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 32 | 4909442 |
| 6 | गोवा | 2 | 34105 |
| 7 | गुजरात | 21 | 6605912 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 10 | 117040 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 20 | 502935 |
| 10 | झारखंड | 24 | 4976859 |
| 11 | कर्नाटक | 28 | 805566 |
| 12 | केरल | 4 | 219524 |
| 13 | लद्दाख | 2 | 155238 |
| 14 | लक्षद्वीप | 1 | 9322 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 51 | 9323125 |
| 16 | महाराष्ट्र | 32 | 4694682 |
| 17 | मणिपुर | 13 | 629332 |
| 18 | मेघालय | 12 | 1135901 |
| 19 | मिजोरम | 11 | 400652 |
| 20 | नागालैंड | 16 | 915742 |
| 21 | ओडिशा | 27 | 4815670 |
| 22 | राजस्थान | 30 | 5537444 |
| 23 | सिक्किम | 6 | 72682 |
| 24 | तमिलनाडु | 16 | 303711 |
| 25 | तेलंगाना | 30 | 1150538 |
| 26 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 2 | 147290 |
| 27 | त्रिपुरा | 8 | 828393 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 26 | 311488 |
| 29 | उत्तराखंड | 7 | 88723 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 21 | 1707342 |
| | **कुल योग** | **549** | **53816914** |

*अनंतिम डेटा

**शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ईएमआरएस में नामांकन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | कुल* |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 9917 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 734 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 23805 |
| 4 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 346 |
| 5 | गुजरात | 11202 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 906 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 806 |
| 8 | झारखंड | 3266 |
| 9 | कर्नाटक | 4525 |
| 10 | केरल | 968 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 24809 |
| 12 | महाराष्ट्र | 10045 |
| 13 | मणिपुर | 1440 |
| 14 | मिजोरम | 1902 |
| 15 | नागालैंड | 744 |
| 16 | ओडिशा | 11569 |
| 17 | राजस्थान | 9512 |
| 18 | सिक्किम | 1248 |
| 19 | तमिलनाडु | 2491 |
| 20 | तेलंगाना | 9256 |
| 21 | त्रिपुरा | 2078 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 890 |
| 23 | उत्तराखंड | 1110 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 2942 |
| | कुल योग | 136511 |

*अनंतिम डेटा

**अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या**

| क्र.सं. | राज्य | 2022-23 | 2023-24* |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 35842 | 39963 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 28965 | 24880 |
| 3 | असम | 97733 | 23993 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 9894 | 10127 |
| 5 | दिल्ली | 50 | - |
| 6 | गुजरात | 59723 | 44206 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 1437 | 1292 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 140 | 140 |
| 9 | झारखंड | 150585 | 149489 |
| 10 | कर्नाटक | 47461 | 38416 |
| 11 | केरल | 92075 | 92075 |
| 12 | लद्दाख | 502 | 610 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 4408 | 4364 |
| 14 | महाराष्ट्र | 26134 | 27603 |
| 15 | मणिपुर | 20807 | 14857 |
| 16 | मेघालय | 109330 | 115156 |
| 17 | ओडिशा | 77362 | 33179 |
| 18 | राजस्थान | 1526 | 1522 |
| 19 | सिक्किम | 279 | 179 |
| 20 | तमिलनाडु | 92562 | 95764 |
| 21 | तेलंगाना | 7909 | 8099 |
| 22 | त्रिपुरा | 882 | 745 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 242 | 234 |
| 24 | उत्तराखंड | 182 | 182 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 133144 | 132132 |

*अनंतिम डेटा

## वीडीवीके का राज्य-वार विवरण

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या | वीडीवीके लाभार्थियों की कुल संख्या* |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 415 | 123578 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 106 | 32897 |
| 3 | असम | 471 | 143309 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 139 | 41700 |
| 5 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 1 | 302 |
| 6 | गोवा | 10 | 3000 |
| 7 | गुजरात | 200 | 57968 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 4 | 1110 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 100 | 29791 |
| 10 | लद्दाख | 10 | 3000 |
| 11 | झारखंड | 146 | 43701 |
| 12 | कर्नाटक | 140 | 41748 |
| 13 | केरल | 44 | 12038 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 126 | 37860 |
| 15 | महाराष्ट्र | 265 | 79650 |
| 16 | मणिपुर | 200 | 60403 |
| 17 | मेघालय | 169 | 50835 |
| 18 | मिजोरम | 259 | 76168 |
| 19 | नागालैंड | 284 | 85198 |
| 20 | ओडिशा | 170 | 50094 |
| 21 | राजस्थान | 479 | 144803 |
| 22 | सिक्किम | 80 | 23381 |
| 23 | तमिलनाडु | 8 | 2400 |
| 24 | तेलंगाना | 17 | 5100 |
| 25 | त्रिपुरा | 57 | 16116 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 25 | 7238 |
| 27 | उत्तराखंड | 12 | 3605 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 22 | 6719 |

*अनंतिम डेटा

**पिछले पांच वर्षों में (2023-24 तक) एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | लाभार्थी* |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 55705 |
| 2 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 7501 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 10426 |
| 4 | असम | 212 |
| 5 | बिहार | 958 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 6676 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली | 6 |
| 8 | गोवा | 1 |
| 9 | गुजरात | 36453 |
| 10 | हरियाणा | |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 201 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 1361 |
| 13 | झारखंड | 32501 |
| 14 | कर्नाटक | 8817 |
| 15 | केरल | 1641 |
| 16 | लक्षद्वीप | |
| 17 | मध्य प्रदेश | 33198 |
| 18 | महाराष्ट्र | 11649 |
| 19 | मणिपुर | 296 |
| 20 | मेघालय | 40731 |
| 21 | मिजोरम | 30504 |
| 22 | नागालैंड | 149187 |
| 23 | ओडिशा | 84849 |
| 24 | राजस्थान | 9986 |
| 25 | सिक्किम | 164 |
| 26 | तमिलनाडु | 16723 |
| 27 | तेलंगाना | 54311 |
| 28 | त्रिपुरा | 5530 |
| 29 | उत्तराखंड | 277 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 8 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 23733 |

*अनंतिम डेटा

*****